रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923
No. 555] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

CENTRAL G. TRIBUNAL

विदेश मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2001

सा. का. नि. 817 (अ).—भारत के असाधारण राजपत्र, दिनांक 27-7-2001 के पृष्ठ 10 पर प्रकाशित जी एस आर 576 (ई) के आंशिक संशोधन में, भाग-II, खंड 3 (i) के पैरा 1 (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 2001 कहा जाएगा।

टिप्पणी : मूल नियम सं. जी. एस. आर. 691 (ई) दिनांक 11-10-1980 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और उसके पश्चात् उनके तहत संशोधित किए गए :—

(i) जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7-2-1981
(ii) जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24-6-1982
(iii) जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12-4-1983
(iv) जी एस आर 482 (ई) दिनांक 13-6-1983
(v) जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16-6-1983
(vi) जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29-3-1986
(vii) जी एस आर 860 (ई) दिनांक 8-11-1985
(viii) जी एस आर 857 (ई) दिनांक 13-10-1987
(ix) जी एस आर 84 (ई) दिनांक 11-2-1988
(x) जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21-11-1988
(xi) जी एस आर 622 (ई) दिनांक 27-7-1990
(xii) जी एस आर 100 (ई) दिनांक 4-3-1991
(xiii) जी एस आर 275 (ई) दिनांक 20-3-1991
(xiv) जी एस आर 586 (ई) दिनांक 21-6-1991
(xv) जी एस आर 111 (ई) दिनांक 22-1-1992
(xvi) जी एस आर 684 (ई) दिनांक 15-6-1992
(xvii) जी एस आर 721 (ई) दिनांक 7-8-1992
(xviii) जी एस आर 477 (ई) दिनांक 16-6-1993
(xix) जी एस आर 485 (ई) दिनांक 1-7-1993
(xx) जी एस आर 503 (ई) दिनांक 10-7-1993
(xxi) जी एस आर 833 (ई) दिनांक 2-12-1994
(xxii) जी एस आर 605 (ई) दिनांक 5-10-1998
(xxiii) जी एस आर 516 (ई) दिनांक 8-7-1999
(xxiv) जी एस आर 827 (ई) दिनांक 29-12-1999
(xxv) जी एस आर 34 (ई) दिनांक 12-01-2000
(xxvi) जी एस आर 472 (ई) दिनांक 22-05-2000
(xxvii) जी एस आर 473 (ई) दिनांक 22-05-2000
(xxviii) जी एस आर 485 (ई) दिनांक 23-05-2000
(xxix) जी एस आर 529 (ई) दिनांक 8-6-2000
(xxx) जी एस आर 584 (ई) दिनांक 04-07-2000
(xxxi) जी एस आर 632 (ई) दिनांक 25-7-2000
(xxxii) जी एस आर 487 (ई) दिनांक 26-6-2001 और
(xxxiii) जी एस आर 527 (ई) दिनांक 13-7-2001

[फा. सं. V.IV/551/20/200

एस.आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th October, 2001

G.S.R. 817(E).—In partial modification of GSR 576(E) published on page 10 of the Gazette of India Extraordinary dated 27-7-2001, para 1(1) of Part II, Section 3(i) may be substituted by the following :

1. (1) These rules may be called by the Passport (Third Amendment) Rules, 2001.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide :—

(i) GSR 50 (E), dated 7-2-1981;
(ii) GSR 469 (E), dated 24-6-1982;
(iii) GSR 325 (E), dated 12-4-1983;
(iv) GSR 482 (E), dated 13-6-1983;
(v) GSR 494 (E), dated 16-6-1983;
(vi) GSR 345 (E), dated 29-3-1985;
(vii) GSR 860 (E), dated 8-11-1985;
(viii) GSR 857 (E), dated 13-10-1987;
(ix) GSR 84 (E), dated 11-2-1988;
(x) GSR 1155 (E), dated 21-11-1988;
(xi) GSR 622 (E), dated 27-7-1990;
(xii) GSR 100 (E), dated 4-3-1991;
(xiii) GSR 275 (E), dated 20-3-1991;
(xiv) GSR 586 (E), dated 21-6-1991;
(xv) GSR 111 (E), dated 22-1-1992;
(xvi) GSR 684 (E), dated 15-6-1992;
(xvii) GSR 721 (E), dated 7-8-1992;
(xviii) GSR 477 (E), dated 16-6-1993;
(xix) GSR 485 (E), dated 1-7-1993;
(xx) GSR 503 (E), dated 10-7-1993;
(xxi) GSR 833 (E), dated 2-12-1994;
(xxii) GSR 605 (E), dated 5-10-1998;
(xxiii) GSR 516 (E), dated 8-7-1999;
(xxiv) GSR 827 (E), dated 29-12-1999;
(xxv) GSR 34 (E), dated 12-01-2000;
(xxvi) GSR 472 (E), dated 22-05-2000;
(xxvii) GSR 473 (E), dated 22-05-2000;
(xxviii) GSR 485 (E), dated 23-05-2000;
(xxix) GSR 529 (E), dated 8-6-2000;
(xxx) GSR 584 (E), dated 04-07-2000;
(xxxi) GSR 632 (E), dated 25-7-2000;
(xxxii) GSR 487 (E), dated 26-6-2001; and
(xxxiii) GSR 527 (E), dated 13-7-2001.

[F. No. V.IV/551/20/2000]

S.R. Tayal, Jt. Secy. (CPV)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054